भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 2043

सोमवार, 13 मार्च, 2023/22 फाल्गुन, 1944 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

महाबोधि मंदिर का विकास

2043. श्री विजय कुमारः

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) यूनेस्को द्वारा 2002 में महाबोधि मंदिर को विश्व विरासत स्थल घोषित करने के बाद से बिहार सरकार द्वारा गया संसदीय क्षेत्र, बिहार के अंतर्गत बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर के विकास के लिए क्या विभिन्न कार्य किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार के पास इस मंदिर के विकास के लिए कोई भावी योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ग): पर्यटन का विकास मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन की जिम्मेदारी है तथापि पर्यटन मंत्रालय वर्तमान में जारी अपनी 'स्वदेश दर्शन' और 'तीर्थस्थान जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान' (प्रशाद) योजनाओं के अंतर्गत बिहार सहित देश में पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों/केंद्रीय एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ऊपर उल्लिखित योजनाओं के तहत प्रस्तावों की प्रस्तुति और परियोजनाओं की स्वीकृति एक सतत प्रक्रिया है जो संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के परामर्श से की जाती है और यह निधियों की उपलब्धता, उपयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की प्राप्ति, योजना दिशानिर्देशों के अनुपालन, चल रही परियोजनाओं के निष्पादन तथा पहले जारी की गई निधियों के उपयोग आदि के अध्यधीन है। इस मंत्रालय ने गया जिले में दो परियोजनाओं को स्वीकृति दी है यथा स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत बोधगया में सम्मेलन केंद्र का विकास और प्रशाद योजना के अंतर्गत विष्णुपद मंदिर में मूलभूत सुविधाओं का विकास।

*****